न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

	किस्म	ता0दायरा	तारीख निर्णय
5	दावा	12.06.15	26.04.18

ण पुत्र सूवया आयु 47 साल जाति मीना निवासी हिन्जापुर तहसील सपोटरा जिला राजस्थान।

–वादीगण

वनाम

बाबूलाल पुत्र फैलू जाति मीना निवासी हिन्जापुर तहसील सपोटरा जिला करौली राज0
रामकन्या पत्नि रामसिह जाति मीना नि0 हिन्जापुर तह0 सपोटरा जिला करौली राज0
लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट

स्थित:– श्री शेरसिह एड0 वकील वादी।
श्री राजाराम मीना वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध दीगण इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 129 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा ग्राम हिन्जापुर तहसील सपोटरा जो कि वादी की सेपरेट खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण स आराजी से कोई तालोकात नही है ना ही कोई लेना देना है। प्रतिवादी सं0 1 व 2 दिनांक 015 को मुझ वादी की करीबन 10 फिट आराजी को दबाते हुए पक्की बाउण्ड्री का निर्माण करने मुझ वादी ने मौके पर जाकर हाथ जोड़कर बाउण्ड्री निर्माण कार्य को बन्द करने के लिए कहा न प्रतिवादी सं0 1 व 2 नही माने बल्कि फोस गाली गलोच करने लगे एवं मारने पीटने पर दा हो गये। प्रतिवादीगण झगडालू, लडाकू एवं राज कानून से निडर व्यक्ति है। प्रतिवादीगण ने नेया कहा कि यदि तू हमको बाउण्ड्री निर्माण से रोकेगा तो जान से खत्म कर देगें। इसलिए ने प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 व जरिये वकील अपना जवाबदावा पेश कर कथन किया कि हम प्रतिवादीगण की आराजी खसरा 12/186 खातेदारी की आराजी है जिसमे से हम प्रतिवादीगण 15 फुट भूमि रास्ते के लिए कर निर्माण कार्य कर रहे है जिसमे वादी का कोई लेना देना नही है तथा वादी की खातेदारी आराजी खसरा नं0 129 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा से हम प्रतिवादीगण का कोई किसी प्रकार का देना नही है। वादी को अपनी आराजी मे हम प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण कार्य होना पाया जाता तो मौका कमीश्नर नियुक्त कराया जाकर मौका रिपोर्ट मंगवाली जावे। इसलिए जवाबदावा कार किया जाकर दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

वाद तथ्य, जवाबदावा एवं पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर चार कीयात कायम की गई। वकील वादी ने साक्ष्य मे वादी शिवचरण पीडब्ल्यू 1 का शपथ पत्र पेश ा जिससे जिरह रिकार्ड की गई तथा दस्तावेजी साक्ष्य मे वकील वादी द्वारा नकल जमाबंदी ग्राम ापुर सम्बत् 2073–76 तथा नक्शा ट्रेस पेश किये है। प्रतिवादी वकील ने साक्ष्य मे प्रतिवादी लाल डी.डब्ल्यू–1 का शपथ पत्र पेश किया जिससे जिरह रिकार्ड की गई। प्रतिवादी द्वारा और साक्ष्य पेश नही करना चाहने पर साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई। दस्तावेजी साक्ष्य मे प्रतिवादीगण जमाबंदी की फोटोप्रति ग्राम हन्जापुर सम्बत् 2069–72 पेश की है।

विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन ा गया। दावा, जवाबदावा, उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के अनसुार तनकीवाईज विवेचन निम्न ार है:–

1. **आया विवादित आराजी वादी की खातेदारी की है ?** इस तनकी को साबित करने का भार **वादी पर है। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सं0 2073–76** के अनुसार विवादित आराजी वादी

Scanned by CamScanner

की सेपरेट खातेदारी मे दर्ज है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आया वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ? इस तनकी को भी साबित करने का भार वादी पर है। जमाबंदी के अनुसार विवादित आराजी वादी की सेपरेट खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि मे प्रतिवादीगण का कोई भी हिस्सा दर्ज नही है, इसलिए प्रतिवादीगण को वादी की उक्त आराजी मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। स्वयं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा मे यह स्वीकार किया है कि उनका वादी की उक्त खातेदारी की भूमि से कोई लेना देना नही है। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

आया प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी की आराजी खसरा नं0 12/186 मे ही निर्माण कार्य कर रहे है, वादी की खातेदारी से प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नही है, इसलिए दावा वादी खारिज होने योग्य है ? इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने कोई लिखित साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह पेश नही किया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उनके द्वारा किया गया निर्माण कार्य का कोई भी हिस्सा वादी की विवादित आराजी मे नही आता है। अतः यह तनकी विरुद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

अनुतोषः– उपर्युक्त तनकीवाईज विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के सेपरेट खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा दर्ज नही है। वादी तनकी नं0 1 व 2 को अपने पक्ष मे साबित करने मे सफल रहे है जबकि तनकी नं0 3 को प्रतिवादीगण अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रहे है। इसलिए वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा बंद किया जाता है कि ग्राम हन्जापुर तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 129 रकबा 03 12 विस्वा में वादी की खातेदारी में किसी प्रकार का बाउण्ड्री निर्माण कार्य नही करे ना ही दीगर से करावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। आदेश आज दिनांक 26.04.2018 को सरे स सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील त दफ्तर हो।

Rj4

(राजपाल यादव आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner